



झारखंड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

Duplicate-copy CRSLP9448405

नामांतरण शुद्धि-पत्र

जिला का नाम	धनबाद	अनुमंडल नाम	धनबाद	अंचल का नाम	गोविन्दपुर	हल्का	हलका-06
इस्टेट का नाम	झारखण्ड	भाग वर्तमान(VOL)	10	पृष्ठ संख्या वर्तमान	24	थाना न.	170

क्रमिक संख्या	केस न.	मौजा का नाम/ राजस्व थाना न.	थाना का नाम	स्वीकृत द्वारा और तिथि	परिवर्तन प्रकार	अभिधृत जिसमें नामांतरण संबंधित है खाता न. भाग वर्तमान पृष्ठ संख्या वर्तमान	कारोबार विस्तृत सूचना खाता न. प्लॉट न. क्षेत्रफल	ल
48405	10112 /R27 2022 - 2023	आमाघाटा/ 170	गोविन्दपुर	15/02/2023	By Sale Registration Deed 5906 Dated 28/09/2022	182 3 27	182 430 6.43 डिसमील	6

क्रेता का नाम : (AMAN KUMAR पिता-G P SINGH, जाति-----, पता-805 PRABHU DARSHAN APARTMENT SARAIIDHELA NEAR GOL BUILDING PS SARAIIDHELA DHANBAD)	जमाबंदी रैयत का नाम : M/S ALOKIK HOMES-LLP PARTNER- RITESH KU SHARMA-पिता-SRI NUTHMAL SHARMA	विक्रेता का नाम : ALOKIK HOMES LLP, पिता-BIKASH जाति-., पता-FLAT NO 19 SHYAM KUI HE SCHOOL ROAD HIRAPUR DHA
--	---	--

राजस्व कर्मचारी हलका-06 को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ हस्तान्तरित |
यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है
यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

Signature valid

Digitally signed by

RAMJI VERMA

अंचलाधिकारी गोविन्दपुर



कोरोना के उड़ जाएंगे प्राण, जब सड़क पर न जाएं इन्सान |

Duplicate Copy

20-May-2023

आदेश

तिथि

Feb 15 2023

आदेश पर की
गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया । क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया । प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा आमाघाटा थाना गोविन्दपुर

खाता	प्लॉट	रकबा
182	430	0 एकड़, 6.43 डिसमील, 0 हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
ALOKIK HOMES LLP	पिता	BIKASH AGARWAL

है जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 5906 दिनांक MMM d yyyy के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदी रियत

रियत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
M/S ALOKIK HOMES-LLP PARTNER- RITESH KU SHARMA	पिता	SRI NUTHMAL SHARMA
SRI RAMESH KUMAR GOYAL	पिता	SRI MADAN LAL GUPTA

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ । किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है।

राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में उक्त नामान्तरण वाद को स्वीकृत किया जाता है।

अतः वार्षिक लगान **6रुपये**
स्वीकृत

किया जाता है ।

अलावे सेस के साथ नामान्तरण

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :

RAMJI VERMA

अंचलाधिकारी गोविन्दपुर